21.07.25 आज यह पत्रावली पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। गत आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 16.9.25 को पेश हो।

16.09.25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उप./जवाब अप्राप्त, जो कि आवश्यक रूप से पेश हो, तथा शेष की तलबी जरिये रजि. डाक से करवाई जाकर मय रिपोर्ट पेश करें, अन्यथा अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। पत्रावली दिनांक 14.11.25 को पेश हो।

14-11-25 आज यह पत्रावली पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उप.। हमने प्रा.पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भलीभांति अवलोकन किया गया। जिससे हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि प्रकरण से संबंधित दावे में भूमिका बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं हुआ है। अतः सहखातेदारान का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाना वाजिब है।

अवलोकन से जाहिर होता है कि होता है कि प्रथम दृष्टया मामला एवं इसमें सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में प्रतीत नहीं होता है।

चूंकि पक्षकारान सहखातेदारान हैं तथा पक्षकारान के हकों का निर्धारण दावे में विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात एवं गुणावगुण के आधार पर हो सकेगा। तब तक अन्य सहखातेदारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं समझते हैं। तथा प्रा.पत्र प्रार्थी को स्वीकार किया जाना उचित नहीं पाते हैं।

अतः प्रा.पत्र 212 रा.का. इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।
निर्णय आज दि. 14.11.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०